57 हजार बिजली कार्मिकों को मिलेगा एक करोड़ रूपए तक का बीमा कवर : भजनलाल शर्मा

'आमजन को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना हमारी प्राथमिकता'

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के कार्मिकों एवं उन पर आश्रित परिवारजनों की सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा के प्रति संवेदनशील है। हमने कार्मिकों को सुरक्षित भविष्य देने और उनके कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के ऊर्जा तंत्र को

- **सुगमता से विद्युत कनेक्शन तथा जीएसएस के बेहतर रखरखाव के लिए ऐप लॉन्च**

सुदृढ़ बनाना तथा आमजन को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है।

शर्मा मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित भारतीय स्टेट बैंक और विद्युत निगमों के बीच एमओयू आदान-प्रदान तथा ऐप लॉन्चिंग कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 8 करोड़ प्रदेशवासियों को सुशासन देने में राज्य कर्मचारी एक महत्वपूर्ण कड़ी है। विकसित और खुशहाल राजस्थान के लक्ष्य के लिए कार्मिक समर्पण एवं सेवाभाव के साथ कार्य कर रहे हैं। इसलिए ये महत्वपूर्ण एमओयू कार्मिकों को सुरक्षित भविष्य देने के राज्य सरकार के उद्देश्य की पूर्ति में सहायक सिद्ध होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की बिजली कंपनियों में करीब 57 हजार कर्मचारी

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मौजूदगी में मंगलवार को उनके आवास पर आयोजित भारतीय स्टेट बैंक और विद्युत निगमों के बीच एमओयू किया गया। इस दौरान डिस्कॉम्स की तरफ से चैयरमेन डिस्कॉम्स आरती डोगरा, प्रसारण निगम की तरफ से प्रबंध निदेशक नथमल डिडेल, उत्पादन निगम की तरफ से सीएमडी देवेन्द्र श्रृंगी और भारतीय स्टेट बैंक की ओर से महाप्रबंधक एसबीआई प्रबुद्ध कुमार ने एमओयू एक्सचेंज किए।

कार्यरत हैं। विद्युत उत्पादन से लेकर उपभोक्ता तक सतत् एवं गुणवत्तापूर्ण बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए इन कंपनियों के तकनीकी कर्मचारी दिन-रात जोखिम भरी परिस्थितियों में कार्य करते हैं। विद्युत कार्य करते समय वे कई बार दुर्भाग्य से हादसे के शिकार हो जाते हैं। ऐसी विषम परिस्थितियों में विकलांगता एवं अशक्तता के के साथ ही असमय ही जान तक चली जाती है, जिसके लिए वर्तमान में अधिकतम क्षतिपूर्ति 20 लाख रुपये तक मुहैया करवाई जा रही है।

शर्मा ने कहा कि आज हमने जयपुर, जोधपुर एवं अजमेर विद्युत वितरण कंपनियों, राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम तथा राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड में कार्यरत सभी विद्युतकर्मियों को बीमा उपलब्ध कराने के लिए भारतीय स्टेट बैंक के साथ एमओयू का आदान-प्रदान किया है। उन्होंने कहा कि इन एमओयू के तहत विद्युतकर्मियों की व्यक्तिगत दुर्घटना में मृत्यु होने या स्थायी निशक्तता की स्थिति में एक करोड़ रुपये का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा उपलब्ध होगा। वहीं आंशिक रूप से अशक्तता की स्थिति में 80 लाख रुपये का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त 10 लाख रुपये के सामूहिक सावधि जीवन बीमा के साथ ही अन्य आर्थिक सहायता एवं सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जाएंगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इन एमओयू से राज्य सरकार अथवा ऊर्जा कंपनियों पर बिना किसी अतिरिक्त वित्तीय भार के कर्मचारियों एवं उन पर आश्रित परिवारजनों की सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा और मजबूत हो सकेगी। बैंक द्वारा न तो ऊर्जा कंपनियों से और न ही कर्मचारियों से कोई राशि ली जाएगी। इस बीमा का प्रीमियम एसबीआई स्वयं वहन करेगा।

मुख्यमंत्री शर्मा ने कार्यक्रम में विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा जेईएन साइट वेरीफिकेशन और ऐस्टीमेशन मोबाइल एप्लीकेशन तथा सब स्टेशन मॉनिटरिंग एप्लीकेशन भी लॉन्च किए। उन्होंने कहा कि इससे पेपरलेस सिस्टम को बढ़ावा मिलने के साथ ही यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की डिजिटल भारत की संकल्पना को भी मजबूती मिलेगी। शर्मा ने कहा कि हमारी डबल इंजन की सरकार जनसेवा के लिए पूरी तरह समर्पित है और हम आगे भी प्रदेश के चहुंमुखी विकास और प्रदेशवासियों की खुशहाली के लिए निरंतर कार्य करते रहेंगे।

इस दौरान डिस्कॉम्स की तरफ से चैयरमेन डिस्कॉम्स आरती डोगरा, प्रसारण निगम की तरफ से प्रबंध निदेशक नथमल डिडेल, उत्पादन निगम की तरफ से सीएमडी देवेन्द्र श्रृंगी और भारतीय स्टेट बैंक की ओर से महाप्रबंधक एसबीआई प्रबुद्ध कुमार ने एमओयू एक्सचेंज किए। कार्यक्रम में ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) हीरालाल नागर तथा अजमेर एवं जोधपुर डिस्कॉम्स के एमडी वीसी के माध्यम से जुड़े। इस अवसर पर मुख्यमंत्री कार्यालय, ऊर्जा विभाग तथा भारतीय स्टेट बैंक के उच्चाधिकारी उपस्थित रहे।

वक्फ की संपत्ति पर काबिज लोग ही समाज को भड़का रहे हैं : मदन राठौड़

जयपुर। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने वक्फ सुधार जन जागरण अभियान की जयपुर शहर कार्यशाला को संबोधित करते हुए विपक्षी पार्टियों पर भ्रमित करने का आरोप लगाया। राठौड़ ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर

- **'संपूर्ण इंडी गठबंधन गांधी परिवार के लिए कर रहा है काम, गांधी परिवार को समृद्ध करने का किया जा रहा है प्रयास'**

कांग्रेस और इंडी गठबंधन देशवासियों को गुमराह करके समाज का विघटन करने का प्रयास कर रहे है। समाज को तोड़ने का प्रयास, समाज में जाति वैमनस्य पैदा करने का प्रयास और समाज में वर्ग संघर्ष करने का प्रयास किया जा रहा है और समाज को भड़काने का काम वो ही लोग कर रहे है जो वक्फ की संपत्ति पर काबिज है। ऐसे में हम सभी को "वक्फ संशोधन विधेयक 2025" को लेकर वस्तु स्थिति समाज के सामने रखने का प्रयास करना होगा।

राठौड़ ने कहा कि संपूर्ण इंडी गठबंधन गांधी परिवार के लिए काम कर रहा है। गांधी परिवार को समृद्ध करने का प्रयास किया जा रहा है। जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अल्पसंख्यकों के साथ सभी वर्ग के लोगों को समृद्ध करने का प्रयास कर रहे है। इस दिशा में कार्य करते हुए मोदी सरकार ने तीन तलाक पर कानून बनाकर मुस्लिम बहनों के सम्मान के लिए कार्य किया, पीएम आवास योजना में मुस्लिम बहनों के नाम आवास पट्टे जारी करने का ऐतिहासिक कार्य किया। मोदी सरकार सभी धर्म, समुदाय और वर्ग के उत्थान के साथ उनके सम्मान जनक जीवन जीने के लिए प्रयास कर रही है। के

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने वक्फ सुधार जन जागरण अभियान की जयपुर शहर कार्यशाला में भाग लिया। इस दौरान उनका दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया गया।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि वक्फ संशोधन का मुख्य उद्देश्य वक्फ की 38 लाख एकड़ जमीन से होने वाली आय का उपयोग गरीब मुस्लिम भाई-बहनों के लिए किया जाए। अल्लाह को दान में दी गई जमीन वक्फ संपत्ति है, अब अल्लाह की संपत्ति से होने वाली आय उस समाज के उत्थान के लिए लगनी चाहिए, लेकिन समाज के कुछ मठाधिशों ने वक्फ की संपत्ति से अपना घर भरने का काम किया है। गरीब मुस्लिम वर्ग को लाभ ना देकर स्वयं या परिवार को लाभान्वित किया जा रहा है। मोदी सरकार का प्रयास है कि देश का गरीब वर्ग समृद्ध और सशक्त होगा तो देश समृद्धी की ओर अग्रसर होगा, लेकिन कांग्रेसी नेताओं ने कभी गरीब वर्ग की चिंता नहीं की।

कार्यशाला में भाजपा जयपुर शहर सांसद मंजू शर्मा, पूर्व केंद्रीय मंत्री और अभियान के प्रदेश संयोजक कैलाश चौधरी, विधायक कालीचरण सराफ, बाल मुकुंदाचार्य, जयपुर शहर जिलाध्यक्ष अमित गोयल, मेयर सौम्या गुर्जर, भाजपा कार्यालय प्रभारी मुकेश पारीक, अल्पसंख्यक मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष हमीद खान मेवाती, भाजपा नेता चंद्रमोहन बटवाडा सहित भाजपा पदाधिकारी मंच पर उपस्थित रहे।

'नए को-ऑपरेटिव कोड से सहकारी संस्थाओं में बढ़ेगी पारदर्शिता एवं जवाबदेहिता'

सहकारिता को सशक्त बनाना राज्य सरकार की प्राथमिकता : मुख्यमंत्री

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि अन्त्योदय के संकल्प को साकार करने में सहकारिता महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तथा सहकारिता क्षेत्र को सशक्त बनाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि नए को-ऑपरेटिव कोड से सहकारी संस्थाओं में पारदर्शिता एवं जवाबदेही को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही, इस नवीन सहकारिता कोड में आमजन को सहकारी सुविधा एवं जन कल्याणकारी योजनाओं तक सुगम पहुंच निश्चित करने के लिए विभिन्न प्रावधान किए गए हैं। यह कोड सहकारी समितियों के आधुनिकीकरण की दिशा में व्यापक सुधार लाएगा। शर्मा मंगलवार को मुख्यमंत्री निवास पर नए को-ऑपरेटिव कोड के संबंध में आयोजित बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने

- **'अन्त्योदय के संकल्प को साकार करने में सहकारिता की महत्वपूर्ण भूमिका'**

कहा कि राज्य सरकार राजस्थान सहकारिता अधिनियम-2001 को वर्तमान परिपेक्ष्य में प्रासंगिक बनाने के लिए नवीन को-ऑपरेटिव कोड लेकर आ रही है। इसके लिए गठित एक समिति ने महाराष्ट्र, गुजरात, मध्यप्रदेश और केरल जैसे राज्यों का दौरा कर वहां के सहकारी कानूनों का व्यवहारिक अध्ययन भी किया है तथा इन प्रदेशों के सहकारी कानूनों के प्रभावी प्रावधानों का समावेश नए सहकारिता कोड में किया गया है, जिससे सहकारी संस्थाएं सशक्त हो सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नवीन सहकारिता कोड को सरल, व्यावहारिक तथा जनहितेषी बनाया जाए जिससे अधिक से अधिक लोग इसका लाभ ले सके। हमारा उद्देश्य है कि प्रदेश में कि सहकार से समृद्धि की भावना के अनुरूप इस नवीन सहकारिता कोड के लिए विभागीय अधिकारी अपने सुझाव दें, जिससे सहकारी समितियों को पारदर्शी एवं आर्थिक रूप से मजबूत बनाया जा सके। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस नए कोड में डिजिटल गवर्नेंस, ग्राम सेवा सहकारी समितियों को कम्प्यूटराइजेशन, सहकारी समितियों के नियमित चुनाव, ऑडिट प्रक्रिया में पारदर्शिता तथा बोर्ड के चुनाव में सुधार और समयबद्ध निर्णय प्रणाली जैसे प्रावधान शामिल किए जाए। शर्मा ने कहा सहकारिता को सर्व सुलभ बनाया जाए ताकि प्रदेशवासी सहकारिता के माध्यम से मिलने वाले लाभ से वंचित ना रहे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस नए कोड में डिजिटल गवर्नेंस, ग्राम सेवा सहकारी समितियों को कम्प्यूटराइजेशन, सहकारी समितियों के नियमित चुनाव, ऑडिट प्रक्रिया में पारदर्शिता तथा बोर्ड के चुनाव में सुधार और समयबद्ध निर्णय प्रणाली जैसे प्रावधान शामिल किए जाए। शर्मा ने कहा संबंध में नियमित बैठक आयोजित की जाए तथा गांवों में सहकारिता मित्र बनाकर उनके सुझाव लिए जाए। इस दौरान बैठक में विभागीय अधिकारियों ने नए को-ऑपरेटिव कोड के प्रारूप को प्रस्तुतीकरण के माध्यम से जानकारी दी। बैठक में कोड से संबंधित प्रमुख बिन्दुओं पर विस्तार से चर्चा की। बैठक में सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतम कुमार दक सहित संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे।

पहलगाम में पर्यटकों पर आतंकी हमले की निंदा

जयपुर। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए कायराना आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने आतंकी हमले में मृत लोगों की आत्मा की शांति तथा परिजनों को यह दुख सहन करने की शक्ति देने की ईश्वर से प्रार्थना की है। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की है।

वक्फ संशोधन बिल-2025 को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

जयपुर। शहर के आदर्श नगर से कांग्रेस विधायक रफीक खान ने वक्फ संशोधन बिल-2025 को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर चुनौती दी है। इस याचिका पर भी अन्य याचिकाओं के साथ 5 मई को सुनवाई होगी।

याचिका में कहा गया है कि यह वक्फ संशोधन बिल मुसलमानों के अधिकारों के साथ भेदभाव करने वाला है। इसके साथ ही ये संशोधन विधेयक संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत समानता के अधिकार, अनुच्छेद 25 और 26 के तहत धर्म और धार्मिक गतिविधियों के पालन और प्रबंधन का अधिकारों का भी हनन करता है। वहीं संविधान के अनुच्छेद 29 में दिए गए अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा का भी हनन करता है। याचिका में ये भी कहा गया है कि वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद की संरचना में संशोधन कर वक्फ प्रशासनिक निकायों में गैर-मुस्लिम सदस्यों को शामिल करना अनिवार्य किया गया है। जबकि ऐसा करना धार्मिक शासन में अनुचित हस्तक्षेप है। याचिका में कहा कि यह चयनात्मक हस्तक्षेप, अन्य धार्मिक संस्थानों पर समान शर्तें लगाए बिना किया गया है।

नौकरी लगवाने के नाम पर ठगी

जयपुर। बनी पार्क थाना इलाके में पशुपालन विभाग में नौकरी लगवाने के नाम पर एक युवती से पांच लाख रुपए ठगने का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस के अनुसार सिंधी कॉलोनी कालीदास मार्ग निवासी सोनिया टांक उर्फ संजना ने मामला दर्ज करवाया।

ओयो के खिलाफ दर्ज एफआईआर में कार्रवाई करने पर रोक

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने रिसोर्ट की फर्जी बुकिंग दिखाने के मामले में ओयो के खिलाफ अशोक नगर थाने में दर्ज एफआईआर में दंडात्मक कार्रवाई करने पर अंतरिम रोक लगा दी है। इसके साथ ही संबंधित पक्षकारों से दो सप्ताह में जवाब मांगा है। जस्टिस प्रवीर भटनागर की एकलपीठ ने यह आदेश कंपनी की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।

- **इसके साथ ही संबंधित पक्षकारों से दो सप्ताह में जवाब मांगा है**

याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आरबी माथुर और अधिवक्ता लिपि गर्ग ने अदालत को बताया कि शिकायतकर्ता समस्कारा रिसोर्ट ने जीएसटी विभाग की टैक्स रिकवरी के लिए पूर्व में हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। जिसे हाईकोर्ट ने मार्च माह में खारिज कर दिया था। इसके बाद रिसोर्ट संचालकों ने टैक्स दायित्व से बचने के लिए गत 9 अप्रैल को याचिकाकर्ता के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी। याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता केवल कमीशन के आधार पर काम करता है। बुकिंग से होने वाली आय पर टैक्स का दायित्व संबंधित होटल और रिसोर्ट पर ही होता है। शिकायतकर्ता ने अपने टैक्स दायित्व से बचने के लिए याचिकाकर्ता पर गलत आरोप लगाकर एफआईआर दर्ज कराई है। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने याचिकाकर्ता के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने पर रोक लगाते हुए संबंधित पक्षकारों से जवाब तलब किया है। गौरतलब है कि समस्कारा रिसोर्ट की ओर से अशोक नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें कहा गया कि ओयो ने रिसोर्ट में करीब 22.50 करोड रुपए की बोगस बुकिंग दिखाई। इसी तरह कंपनी ने अपनी वैल्थ बढा चढाकर दिखाने के लिए अन्य होटल व रिसोर्ट में भी फर्जी बुकिंग दिखाई। जिसके चलते जीएसटी विभाग होटल और रिसोर्ट संचालकों को टैक्स रिकवरी के नोटिस दे रहा है। जीएसटी ने उसके खिलाफ भी 2.66 करोड रुपए की टैक्स रिकवरी निकाली है।

जयपुर के डॉक्टरों ने फरीदाबाद में छात्रों को दिखाया वैश्विक करियर का रास्ता

जयपुर। जयपुर के प्रख्यात दंत चिकित्सक डॉ. शोभित अग्रवाल और डॉ. मिमांषा अग्रवाल ने हाल ही में सुधा रस्तोगी डेंटल कॉलेज, फरीदाबाद में एक विशेष शैक्षिणक सत्र में छात्रों को संबोधित

- **डॉ. शोभित अग्रवाल और डॉ. मिमांषा अग्रवाल ने डेंटिस्ट्री में नवीनतम तकनीकों और अमेरिका में करियर के अवसरों पर दिया व्याख्यान**

किया। दोनों डॉक्टर मूल रूप से जयपुर के रहने वाले हैं और अमेरिका जाने से पूर्व यहां निजी क्लिनिक चला रहे थे।

अब अमेरिका के बॉस्टन यूनिवर्सिटी से डिग्री प्राप्त कर चुके ये विशेषज्ञ, वर्तमान में वैश्विक मंच पर भारतीय प्रतिभा की पहचान बन चुके हैं। इस विशेष व्याख्यान में उन्होंने डेंटिस्ट्री में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल डेंटिस्ट्री, और मीनिमली इनवेसिव तकनीकों जैसी नवीनतम तकनीकों पर चर्चा की।

डॉ. शोभित अग्रवाल, ने डेंटल फील्ड में उभरते ट्रेंड्स और तकनीकी बदलावों पर जानकारी दी। वहीं डॉ. मिमांषा अग्रवाल ने भारतीय छात्रों को अमेरिका में उच्च शिक्षा और प्रैक्टिस की प्रक्रिया के बारे में मार्गदर्शन दिया। उन्होंने

अमेरिका के डेंटल स्कूलों में दाखिला, आवश्यक परीक्षाएं (जैसे), और आवेदन प्रक्रिया को विस्तार से समझाया। दोनों डॉक्टरों का उद्देश्य युवा डेंटल छात्रों को न केवल तकनीकी रूप से मजबूत बनाना है, बल्कि उन्हें अंतरराष्ट्रीय अवसरों के लिए भी तैयार करना है।

कॉलेज प्रशासन ने इस सत्र की सराहना की और कहा कि ऐसे कार्यक्रम छात्रों को वैश्विक सोच और प्रतिस्पर्धा के लिए प्रेरित करते हैं। जयपुर से निकले इन दोनों डॉक्टरों की सफलता न केवल शहर बल्कि पूरे देश के युवाओं के लिए प्रेरणास्त्रोत है।